न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 1999/00011**
दायरा तिथि : 02.04.1999
निर्णय तिथि : 14-10-2025

वादीगण :–

1–स्व0 भेराराम पुत्र जेठारामजी के का0 मु0 वारिसः–
1/1 – अमराराम पुत्र भेरारामजी उम्र बालिग
1/2 – कुपाराम पुत्र भेरारामजी उम्र बालिग
1/3– स्व0 सेसाराम पुत्र भेरारामजी के का.मु. वारिस :–
1/3/1 – खीमाराम पुत्र सेसारामजी उम्र बालिग
1/3/2 – चतराराम पुत्र सेसारामजी उम्र बालिग
1/3/3 – श्रीमती कविता पुत्री सेसारामजी उम्र बालिग
1/3/4 – श्रीमती दाकुबाई पत्नि सेसारामजी उम्र बालिग
1/4 – श्रीमती वरजू पुत्री भेरारामजी उम्र बालिग
1/5– श्रीमती गैनी पुत्री भेरारामजी उम्र बालिग
1/6– श्रीमती गमनी पुत्री भेरारामजी उम्र बालिग
1/7– श्रीमती हुली पुत्री भेरारामजी उम्र बालिग
1/8– श्रीमती चैनी पुत्री भेरारामजी उम्र बालिग
1/9– श्रीमती सोनी पुत्री भेरारामजी उम्र बालिग
2– अमराराम पुत्र भेरारामजी उम बालिग
3– कूपाराम पुत्र भेरारामजी उम्र बालिग तमाम जाति से सीरवी निवासीगण बाली तहसील बाली जिला पाली(राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1–स्व0 टीकमाराम पुत्र वरदारामजी के का0 मु0 वारिसः–
1/1– स्व0 जोधाराम पुत्र टीकमारामजी के का0 मु0 वारिस :–
1/1/1 – पीताराम पुत्र जोधाराम उम्र बालिग
1/1/2 – मेगाराम पुत्र जोधाराम उम्र बालिग
1/1/3 – मगनी पुत्री जोधाराम उम्र बालिग
1/2 – स्व0 चेनाराम पुत्र टीकमारामजी के का0 मु0 वारिसः–
1/2/1 – रमेश कुमार पुत्र चेनारमजी उम्र बालिग
1/2/2 – जितेन्द्र कुमार पुत्र चेनारामजी उम्र बालिग
1/2/3 – श्रीमती कमला पुत्री चेनारामजी उम्र बालिग
1/2/4– श्रीमती कन्याबाई पत्नि चेनारामजी उम्र बालिग
1/3 –खीमाराम पुत्र टीकमारामजी उम्र बालिग
2– स्व0 डुंगाराम पुत्र वरदारामजी के का0 मु0 वारिसः–
2/1– जीवाराम पुत्र डुंगाराम उम्र बालिग
2/2– टीपू पुत्री डुंगाराम उम्र बालिग
2/3– बगदी पुत्री डुंगाराम उम्र बालिग
3– स्व0 नवाराम पुत्र वरदारामजी के का0 मु0 वारिसः–
3/1– सेसाराम पुत्र नवारामजी उम्र बालिग
3/2– वगताराम पुत्र नवारामजी उम्र बालिग
3/3– पकाराम पुत्र नवारामजी उम्र बालिग
3/4– जगाराम पुत्र नवारामजी उम्र बालिग
4– स्व0 फुआराम पुत्र गलारामजी के का0 मु0 वारिसः–
4/1– उमाराम पुत्र फुआरामजी उम्र बालिग
4/2– वेलाराम पुत्र फुआरामजी उम्र बालिग
5– स्व0 मगाराम पुत्र गलारामजी के का0 मु0 वारिसः–
5/1– मोटाराम पुत्र मगाराम उम्र बालिग
5/2– मानाराम पुत्र मगाराम उम्र बालिग
5/3– कानाराम पुत्र मगाराम उम्र बालिग
5/4– तीजो पुत्री मगाराम उम्र बालिग

(मुहर: न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.))

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार.........02

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण Gems No. 1999/00011
अनवान भैराराम वगैरा बनाम टिकमाराम वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

6– स्व0 रामाराम पुत्र गलारामजी के का0 मु0 वारिसः–
वगताराम पुत्र रामारामजी उम्र बालिग तमाम जाति से सीरवी
निवासीगण बेरा बदवा बाली, जिला पाली राज0
7– स्व0 भीकाराम पुत्र सवारामजी के का0 मु0 वारिसः–
7/1– राईगाराम पुत्र भीकाराम उम्र बालिग
7/2– राजेन्द्र पुत्र भीकाराम उम्र बालिग
7/3– मनाराम पुत्र भीकाराम उम्र बालिग
7/4– प्रकाश पुत्र भीकाराम उम्र बालिग
7/5–शंकरलाल पुत्र भीकाराम उम्र बालिग जाति माली
हाल निवासी बडगांव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही राज0
8– गंगाराम पुत्र सवारामजी उम्र बालिग जाति से माली
निवासी बेरा मालीयो वाला, बाली, तहसील बाली, जिला पाली(राज)
9– राजस्थान सरकार भुमिधारी जरिये प्रतिनिधी तहसलीदार बाली

उपस्थितिः–

1. श्री गणपतलाल चौधरी ....अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री जितेश भंडारी .... अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7/1, 7/5, 8
3. नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 14-10-2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः– 1. वादीगण ने वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर ग्राम बाली स्थित भूमि गत खसरा नंबर 395/2 के भू–भाग से मौका स्थिति अनुसार बने हाल खसरा नंबर 3200 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि का खातेदार इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से घोषित करते हुये प्रतिवादीगण के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में वादीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि वादीगण की खातेदारी भूमियां ग्राम बाली के पुराने खसरा नंबर 394 गै.मु. रास्ता के पूर्व दिशा में स्थित रही है। वादीगण के खातेदारी भूमियों के गत खसरा नंबर 395, 395/1, 395/2 व 395/3 रहे है। जिसके नये खसरा नंबर 3199, 3200 व 3201 मौका स्थिति अनुसार बने है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान बाली के हाल खसरा नंबर 3199 व 3201 वादीगण के खातेदारी में दर्ज की गई परंतु गत खसरा नंबर 395/2 के भू–भाग से मौका स्थिति अनुसार बने हाल खसरा नंबर 3200 रकबा 0.08 हैक्टर को मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नंबर 403/2 मी. से बनना दर्शाते हुये प्रतिवादीगण के खातेदारी में गलत रूप से दर्ज कर दिया। जबकि वादीगण कदीम से पूर्वजों के समय से रास्ते के पूर्व दिशा की तरफ स्थित अपनी खातेदारी भूमियों पर काश्त करते आ रहे है। सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा मौका स्थिति के विपरीत मिलान क्षेत्रफल तैयार करते हुये वादग्रस्त भूमि बाली के हाल खसरा नंबर 3200 रकबा 0.08 हैक्टर को गत खसरा नंबर 403/2 मीन से बनना दर्शित करते हुये प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के खातेदारी में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज कर दिया। जबकि वादीगण की खातेदारी भूमियां गैर मुमकिन रास्ते के पूर्व दिशा की ओर तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमियां रास्ते के पश्चिम दिशा की ओर स्थित रही है। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जिससे भू–प्रबंध विभाग की त्रुटि को शुद्ध कर बाली के हाल खसरा नंबर 3200 रकबा 0.08 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित करने का निवेदन किया। वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में जमाबंदी संवत 2031 से 2034 की प्रति, खतौनी संवत 1997 की प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, हाल जमाबंदी संवत 2044 से 2047 की प्रति, नक्शा ट्रैस नया व पुराना एवं मिसल बंदोबस्त नई व पुरानी पेश की गई।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........03

राजस्व वाद प्रकरण Gems No. 1999/00011
अमराराम भैराराम सीरवी बनाम टिकमाराम सीरवी
वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

2. वादीगण के वादपत्र का प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की ओर से स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 07 व 08 की ओर से जवाबदावा मय काउण्टरक्लेम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाली में स्थित भूमि गत खसरा नंबर 403, 403/1, 403/2 व 404 कुल खसरा न. 4 कुल रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 07 व 08 के 1/2 हिस्सा की सहखातेदारी की भूमि रही है। भू-प्रबंध कार्यवाही के बाद नये खसरा नंबर 3168 से 3178 व 3200 बने तथा कुल रकबा 4.91 हैक्टर प्रतिवादीगण के खातेदारी में सही तौर पर दर्ज किया गया। खसरा नंबर 3200 की भूमि पर प्रतिवादीगण का काश्त व कब्जा है, लेकिन उक्त टुकड़ा अन्य भूमि से अलग आया हुआ है जिससे वादीगण का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. वादीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह वादी स्वयं पीडब्ल्यू-1 अमराराम पुत्र भैराजी सीरवी उम्र 65 वर्ष व पडौसी गवाह पीडब्ल्यू-2 धीसाराम पुत्र लालाजी सीरवी उम्र 60 वर्ष निवासी बाली के बयान कलमबद्ध करवायें। प्रतिवादी पक्ष द्वारा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह डीडब्ल्यू-1 गंगाराम पुत्र सवाराम जी जाति माली उम्र 85 वर्ष निवासी बाली के बयान कलमबद्ध करवाये।

4. दोनों पक्षों की साक्ष्य समाप्ति के पश्चात वादीपक्ष के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के अधिवक्ता श्री जीतेश भंडारी की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अध्योपांत अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकूलाय की बहस कर मनन के पश्चात प्रकरण मे कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णीत किया जाता है :-

तनकी सं. 1- आया बाली के खसरा न0 3200 रकबा 0.08 हैक्टर पुराने राजस्व रिकार्ड व मौके की भौतिक स्थिति अनुसार वादीगण के खातेदारी व हक अधिकार के होने से वादी इस भूमि के खातेदारी हक प्राप्त करने के अधिकारी है?.......... वादी

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि में प्रस्तुत सेटलमेन्ट पूर्व के नवशे व सेटलमेन्ट के पूर्व राजस्व रिकार्ड की प्रति पेश की। जमाबंदी संवत् 1999 के अनुसार ग्राम बाली के गत खसरा न0 396 रकबा 25 बीघा, 7 बिस्वा वादीगण के पुर्वज नवीया व जेटिया बेटा दोला के नाम के खातेदारी दर्ज रही है तथा जमाबन्दी संवत 2031-34 के प्रति के अनुसार बाली के गत खसरा न0 395/1, 395/2, 395 कुल खसरा 3 कुल रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा वादी अमराव वलद भेरा कौम सिरवी के नाम दर्ज होना ज्ञात है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2044 -2047 की प्रति के अनुसार ग्राम बाली के हाल खसरा न0 3087,3088, 3092, 3195 ,3196, 3198, 3199, 3089, 3090, 3091, 3094 , 3196, 3201, 3202 कुल खसरा 14 कुल रकबा 10.57 हैक्टर वादीगण के पूर्वज व वादी गण के नाम यथा बहराराम पुत्र जेठाराम जी 1/3, अमराराम पुत्र भैराराम 1/3, कुपाराम पुत्र भैराराम 1/3 कौम सिरवी के नाम दर्ज होना भी ज्ञात है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2044-2047 प्रदर्श 5 मे दर्ज इन्द्राज के अनुसार बाली के हाल खसरा न0 3170 ,3171, 3172, 3173, 3174 3175 3176 3177, 3178, 3200, 3168, 3196 कुल खसरा 12 कुल रकबा 4.91 हैक्टर प्रतिवादी गण के नाम दर्ज होना ज्ञात है । वादीगण ने अपने वाद पत्र में बाली के हाल खसरा न0 3200 रकबा 0.08 हैक्टर की खातेदारी मौका स्थिति के विपरीत प्रतिवादी गण के नाम दर्ज किए जाने से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मिलान क्षेत्रफल को चुनौती देते हुए हाल खसरा न0 3200 रकबा 0.08 हैक्टर वादीगण के खातेदारी भूमि गत खसरा न0 395 से बनने से घोषणा खातेदारी की मांग की है, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल की प्रति के अनुसार बाली के हाल खसरा न0 3200 रकबा 0.08 हैक्टर गत खसरा न0 403/2 मीन से बनना प्रमाणित है वादीगण ने अपने वाद पत्र में मुख्य दलील यह दी है की वादीगण की खातेदारी भूमिया गत खसरा न0 394 गैर मुमकिन रास्ता के पूर्व दिशा में स्थित होना तथा प्रतिवादी गण की खातेदारी भूमिया गत खसरा न0 403, 403/1, 403/2 गैर मुमकिन रास्ता खरसा न0 394 के पश्चिम दिशा मे स्थित होने के कथन करते हुए हाल खसरा न0 3200 की घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरस्ति के माध्यम से चाही है,

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........04

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण Gems No. 1999/00011
अनवान भैराराम वगैरा बनाम टिकमाराम वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

परन्तु वादी ने अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट वर्णित नही किया है कि भू–प्रबन्ध से पूर्व वादी गण के पूर्वज के नाम कितनी खातेदारी भूमि दर्ज थी तथा सैटलमेण्ट वाद के अधिकार अभिलेखो में वादीगण के नाम कितनी भूमि दर्ज हुई। वाद पत्र मे peek and choose के आधार पर गत खसरा नं. 395/2 मीन से बने हाल खसरा नं. 3200 की घोषणा खातेदारी चाही है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो से प्रमाणित है की सवत् 1999 में वादीगण के पूर्वज के नाम बाली के गत खसरा0 न 395 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज थी तथा सैटलमेण्ट की पूर्व जमाबन्दी संवत 2031–34 में वादीगण के नाम 18 बीघा 13 बीस्वा भूमि दर्ज रही है तथा सैटलमेण्ट बाद के अधिकार अभिलेखो में प्रदर्श 4 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार कुल खसरा 14 में रकबा 10.57 हैक्टर की भूमि खातेदारी में दर्ज हुई है। इससे विपरित वादी पक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत अभिलेखी साक्षी सैटलमेण्ट के पश्चात की जमाबन्दी प्रदर्श 5 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार बाली के हाल खसरा न0 3170 ,3171, 3172, 3173, 3174 3175 3176 3177, 3178, 3200, 3168, 3196 कुल खसरा 12 कुल रकबा 4.91 हैक्टर भूमि प्रतिवादी गण के नाम दर्ज होना प्रमाणित है। जिसमे दर्ज इन्द्राज के अनुसार हाल खसरा0 न0 2500 रकबा 0.08 हैक्टर भी प्रतिवादी गण के नाम दर्ज होना प्रमाणित है। वादी पक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार भी हाल खसरा न. 3200 गत खसरा न0 403/2 मीन से बनना प्रमाणित है, तथा गत खसरा न0 403/2 मीन प्रतिवादी गण के खातेदारी मे दर्ज होने के तथ्य को वादी स्वयं भी स्वीकार करते है। वादी द्वारा मिलान क्षेत्रफल को गलत साबित करने के लिए गत एवं हाल नक्शे को ओवरलैपिंग करते हुए प्रस्तुत मौखिंक साक्ष्य से भी प्रमाणित नही कराया है एवं न ही वादपत्र में सैटलमेण्ट पूर्व के अधिकार अभिलेखो में वादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज भूमि के मुकाबले सैटलमेण्ट पश्चात के अभिलेखो में कितनी भूमि दर्ज हुई, स्पष्टिकरण नही दिया है जिससे peek and choose के आधार पर बाली के हाल खसरा न0 3200 की खातेदारी घोषणा की मांग स्वीकार योग्य नही है। वादी पक्ष के प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य भी इस तथ्य की पुष्टि नही कर पाये है जिससे उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व व प्रतिवादीगण स0 7 व 8 के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2– आया खसरा न0 3200 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि प्रतिवादी स0 7 व 8 के पुराने खातेदारी के खसरा न0 से बने है, जिस भूमि पर प्रतिवादी गण का मौके पर आज भी कब्जाकाश्त होने से इस भूमि बाबत प्रतिवादी स0 7 व 8 वादी गण के विरूद्व सार्वकालिक निषेध आज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है? ....प्रतिवादी स0 7 व 8

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी स0 7 व 8 का था वादीगण ने अपने वादपत्र में बाली के हाल खसरा न.0 3200 रकबा 0.08 हैक्टर को गत खसरा न0 395/2 के भूभाग से बनना वर्णित किया है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल के प्रति में इन्द्राज के अनुसार बाली के हाल खसरा न.0 403/2 से बनना वर्णित किया है तथा गत खसरा न.0 403/2 प्रतिवादी गण के खातेदारी में दर्ज थी तथा हाल खसरा न0 3200 प्रतिवादी सं0 7 व 8 के नाम दर्ज होना भी ज्ञात है इस प्रकार वादगस्त भूमि सैटलमेण्ट पूर्व के अधिकार अभिलखों व वर्तमान अधिकार अभिलखों में प्रतिवादी गण के खातेदारी में दर्ज होने से वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नही रहने से तनकी स0 1 वादीगण के विरूद्व निर्णित की गई है चुंकि वादीगण वादग्रस्त भूमि की घोषणा खातेदारी पाने के अधिकारी नही रहते है, तो प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की सार्वकालिक निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी भी नही रहते है जिससे तनकी स0 2 भी वादीगण के विरूद्व एवं प्रतिवादी स0 7 व 8 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

पेज लगातार..........05

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned by CamScanner

-17

//05//

राजस्व वाद प्रकरण Gcms No. 1999/00011

अनवान भैराराम वगैरा बनाम टिकमाराम वगैरा

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

तनकी स0 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णीत होने से ग्राम बाली के खसरा न0 3200 रकबा 0.08 हैक्टर के सबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम खारीज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश विश्नोई)
आर.ए.एस.
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली

निर्णय आज दिनांक 14-10-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

ब अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

ीगण :-

1—स्व0 भेराराम पुत्र जेठारामजी के का0 मु0 वारिस:—

1/1 — अमराराम पुत्र भेरारामजी उम्र बालिग

1/2 — कुपाराम पुत्र भेरारामजी उम्र बालिग

1/3— स्व0 सेसाराम पुत्र भेरारामजी के का.मु. वारिस :—

1/3/1 — खीमाराम पुत्र सेसारामजी उम्र बालिग

1/3/2 — चतराराम पुत्र सेसारामजी उम्र बालिग

1/3/3 — श्रीमती कविता पुत्री सेसारामजी उम्र बालिग

1/3/4 — श्रीमती दाकुबाई पत्नि सेसारामजी उम्र बालिग

1/4 — श्रीमती वरजू पुत्री भेरारामजी उम्र बालिग

1/5— श्रीमती गैनी पुत्री भेरारामजी उम्र बालिग

1/6— श्रीमती गमनी पुत्री भेरारामजी उम्र बालिग

1/7— श्रीमती हुली पुत्री भेरारामजी उम्र बालिग

1/8— श्रीमती चैनी पुत्री भेरारामजी उम्र बालिग

1/9— श्रीमती सोनी पुत्री भेरारामजी उम्र बालिग

2— अमराराम पुत्र भेरारामजी उम बालिग

3— कूपाराम पुत्र भेरारामजी उम्र बालिग तमाम जाति से सीरवी निवासीगण बाली तहसील बाली जिला पाली(राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1—स्व0 टीकमाराम पुत्र वरदारामजी के का0 मु0 वारिस:—

1/1— स्व0 जोधाराम पुत्र टीकमारामजी के का0 मु0 वारिस :—

1/1/1 — पीताराम पुत्र जोधाराम उम्र बालिग

1/1/2 — मेगाराम पुत्र जोधाराम उम्र बालिग

1/1/3 — मगनी पुत्री जोधाराम उम्र बालिग

1/2 — स्व0 चेनाराम पुत्र टीकमारामजी के का0 मु0 वारिस:—

1/2/1 — रमेश कुमार पुत्र चेनारमजी उम्र बालिग

1/2/2 — जितेन्द्र कुमार पुत्र चेनारामजी उम्र बालिग

1/2/3 — श्रीमती कमला पुत्री चेनारामजी उम्र बालिग

1/2/4— श्रीमती कन्याबाई पत्नि चेनारामजी उम्र बालिग

1/3 —खीमाराम पुत्र टीकमारामजी उम्र बालिग

2— स्व0 डुंगाराम पुत्र वरदारामजी के का0 मु0 वारिस:—

2/1— जीवाराम पुत्र डुंगाराम उम्र बालिग

2/2— टीपू पुत्री डुंगाराम उम्र बालिग

2/3— बगदी पुत्री डुंगाराम उम्र बालिग

3— स्व0 नवाराम पुत्र वरदारामजी के का0 मु0 वारिस:—

3/1— सेसाराम पुत्र नवारामजी उम्र बालिग

3/2— वगताराम पुत्र नवारामजी उम्र बालिग

3/3— पकाराम पुत्र नवारामजी उम्र बालिग

3/4— जगाराम पुत्र नवारामजी उम्र बालिग

4— स्व0 फुआराम पुत्र गलारामजी के का0 मु0 वारिस:—

4/1— उमाराम पुत्र फुआरामजी उम्र बालिग

4/2— वेलाराम पुत्र फुआरामजी उम्र बालिग

5— स्व0 मगाराम पुत्र गलारामजी के का0 मु0 वारिस:—

5/1— मोटाराम पुत्र मगाराम उम्र बालिग

5/2— मानाराम पुत्र मगाराम उम्र बालिग

5/3— कानाराम पुत्र मगाराम उम्र बालिग

5/4— तीजो पुत्री मगाराम उम्र बालिग

पेज लगातार..........02

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण Gcms No. 1999/00011
अनवान भैराराम वगैरा बनाम टिकमाराम वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

6– स्व0 रामाराम पुत्र गलारामजी के का0 मु0 वारिसः–
वगताराम पुत्र रामारामजी उम्र बालिग तमाम जाति से सीरवी
निवासीगण, बेरा बदवा बाली, जिला पाली राज0
7– स्व0 भीकाराम पुत्र सवारामजी के का0 मु0 वारिसः–
7/1– राईगाराम पुत्र भीकाराम उम्र बालिग
7/2– राजेन्द्र पुत्र भीकाराम उम्र बालिग
7/3– मनाराम पुत्र भीकाराम उम्र बालिग
7/4– प्रकाश पुत्र भीकाराम उम्र बालिग
7/5–शंकरलाल पुत्र भीकाराम उम्र बालिग जाति माली
हाल निवासी बडगांव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही राज0
8– गंगाराम पुत्र सवारामजी उम्र बालिग जाति से माली
निवासी बेरा मालीयो वाला, बाली, तहसील बाली, जिला पाली(राज)
9– राजस्थान सरकार भुमिधारी जरिये प्रतिनिधी तहसलीदार बाली,

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 1999/00011
वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी द्वारा ग्राम बाली के खसरा न0 3200 रकबा 0.08 हैक्टर के सबंध में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम खारीज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14-10-25 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

(निलेश बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं प्रथम
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं प्रथम उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner